HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

D.B. Criminal Appeal (Db) No. 174/2022

Abid Hussain S/o Abdul Shakur, Aged About 38 Years, R/o B Road, Vyapariyon Ka Mohalla, Nagaur. (At Present Confined In Central Jail, Ajmer)

----Appellant

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Tarun Dhaka
For Respondent(s)	:	Mr. Shrawan Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR
HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Judgment

1.	Date of conclusion of arguments	17.02.2026
2.	Date on which the judgment was reserved	17.02.2026
3.	Whether the full judgment or only operative part is pronounced	Full Judgment
4.	Date of Pronouncement	25.02.2026

BY THE COURT: (Per Chandra Shekhar Sharma, J)

प्रकरण में अभियोक्त्री (Prosecutrix) एवं उसके निकट संबंधी की पहचान को गुप्त रखे जाने के प्रयोजन से अभियोक्त्री और उसके पिता को उनके काल्पनिक नाम क्रमशः **'N'** एवं **'M'** से संबोधित किया गया है।

02. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन यह अपील अपीलार्थी–अभियुक्त ने विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश, नागौर के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 108/2011 (14/2011); राजस्थान राज्य बनाम आबिद हुसैन में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की है,

जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी–अभियुक्त को धारा 363 एवं 376 भारतीय दंड संहिता के अपराधों के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर निम्नप्रकार से दंडित किया :–

क्र.सं.	धारा	दंडादेश
01.	363 भारतीय दंड संहिता	सात वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड तीन माह का साधारण कारावास
02.	376 भारतीय दंड संहिता	आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड, अदम अदायगी अर्थदंड तीन माह का साधारण कारावास

03. इस अपील के निस्तारण हेतु प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.10.2010 को परिवादी **'M'** ने अभियोक्त्री **'N'** के साथ थानाधिकारी, महिला पुलिस थाना, नागौर के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि आज लगभग छः बजे आबिद उसकी पुत्री **'N'** को चॉकलेट देकर, फुसलाकर, झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और गालों पर चिमटियां काटी। अतः मुलजिम के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करावें..... इत्यादि।

04. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर महिला पुलिस थाना, नागौर में प्रकरण संख्या 15/2010 पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363 व 376 भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, तत्पश्चात् यह प्रकरण कमिट होकर विद्वान विचारण न्यायालय में प्राप्त हुआ।

05. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बहस चार्ज सुनकर अपीलार्थी–अभियुक्त को धारा 363 व 376(2)(च) भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए, अभियुक्त ने आरोपों को सुन व समझकर, अस्वीकार किया और अन्वीक्षा की मांग की।

06. दौराने अन्वीक्षा आरोपों की पुष्टि में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहान परीक्षित हुए एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 से प्रदर्श पी.18 दस्तावेज प्रदर्शित हुए। अभियुक्त का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण किया गया, जिसमें उसने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताते हुए व्यक्त किया कि वह निर्दोष है और उसे अदावती के कारण झूठा फंसाया गया है एवं साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, किन्तु कोई साक्ष्य सफाई नहीं पेश की गई। तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपर्युक्तानुसार निर्णय व दंडादेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी–अभियुक्त ने यह अपील प्रस्तुत की है।

07. हमने अपीलार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता एवं योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी, आक्षेपित निर्णय–दंडादेश व अभिलेख का अवलोकन किया।

08. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि सर्वप्रथम घटना की जो रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 दर्ज करवाई गई थी, उसमें घटना का कोई विस्तृत हवाला नहीं आया है एवं अभियुक्त द्वारा चॉकलेट देकर, फुसलाकर, झाडियों में ले जाकर दुष्कर्म करते हुए गालों पर चिमटियां काटना उल्लेखित किया गया है, परन्तु साक्ष्य के दौरान स्वयं अभियोक्त्री पी.डब्ल्यु.10 ने न्यायालय के समक्ष इसी अनुरूप घटना का समर्थन नहीं किया है। बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी कहती है कि उसके गिरने से चोटें आई थीं और अभियुक्त ने उसे चरुटिये नहीं भरे थे और न ही उसके साथ गंदा काम किया था। एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यु.11, जो कि अभियोक्त्री का भाई होकर घटना के समय पास में होना बताया गया है, इसके द्वारा भी न्यायालय में जो साक्ष्य दी गई है, उससे घटना का समर्थन नहीं होता है। यह गवाह भी स्वीकार करता है कि **'N'** के चोट पेशाब करते समय गिरने से लगी थी। मेडिकल साक्ष्य के गवाह क्रमशः पी.डब्ल्यु.06 डॉक्टर उषा व पी.डब्ल्यु.07

डॉक्टर एस.एस. कालवी के द्वारा भी जिस प्रकार की साक्ष्य दी गई है, उससे भी यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री **'N'** के शरीर पर जो चोटें थीं, वे गिरने की वजह से आना संभावित थीं और वास्तव में अभियोक्त्री झाड़ियों में गिर गई थी, जिससे हाथ और पैर पर खून आ गया था और इस स्थिति में अभियुक्त को पास देखकर, बिना सोचे–समझे अभियोक्त्री के पिता द्वारा यह मान लिया गया कि अभियुक्त द्वारा उसकी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। परन्तु इस प्रकार की कोई घटना वास्तव में घटित नहीं हुई थी। यदि ऐसी घटना घटित हुई होती तो, स्वयं अभियोक्त्री पी.डब्ल्यु.10 **'N'** के कथनों से इसको समर्थन मिलना चाहिए था। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि जिस स्थान की घटना बताई गई है, वह एक खुला स्थान है, जहां कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। अभियुक्त की अंडरवियर एवं अभियोक्त्री की सलवार व कुर्ती अनुसंधान के दौरान जब्त करना बताया गया है। लेकिन कुर्ती जब्त की गई हो, ऐसा साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है। स्वयं अभियोक्त्री **'N'** के अनुसार वह अभियुक्त को जानती भी नहीं थी। अतः केवल शक के आधार पर अपीलार्थी को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। घटना की जो एकमात्र मुख्य गवाह स्वयं **'N'** है, उसके कथनों से अभियोजन पक्ष की साक्ष्य का समर्थन नहीं होने से, अभिलेख पर आई उक्त साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की आरोपित अपराधों में जो दोषसिद्धि की गई है, वह न्यायोचित नहीं होने से यह अपील स्वीकार कर उसे दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

09. उक्त तर्कों के खंडन में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिए गए कि सर्वप्रथम जब अभियोक्त्री **'N'** को अभियुक्त द्वारा जिस स्थान से फुसलाकर ले जाया गया था, उस जगह कई अन्य बच्चे भी खेल रहे थे और पास में ही उसका आठ वर्षीय भाई भी मौजूद था। तब अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री, जो कि घटना के समय सात वर्षीय बालिका

थी, को फुसलाकर, पैसे देकर अपने साथ ले गया। इस स्थिति में जिस एकांत स्थान पर ले जाकर, अभियुक्त द्वारा जो कृत्य किया गया था, उस स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति संभव भी नहीं थी। इसी दरमियान जब अभियोक्त्री घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे, तब अभियोक्त्री **'N'** को अभियुक्त के साथ देखा था। उस वक्त अभियोक्त्री **'N'** के शरीर पर से खून भी आ रहा था। तब अभियुक्त मौके से भाग गया था। अतः यह संभव था कि अभियोक्त्री प्रांरभ से अभियुक्त को नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही पिता ने अपनी बच्ची को अभियुक्त के साथ देखा, तो वह अभियुक्त को पहचान गया था। तत्पश्चात् जब अभियोक्त्री अपने पिता से मिली, तो उसे घटना के बारे में बताया और अविलंब ही प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में उपस्थित होकर दर्ज करा दी गई। चूंकि परिवादी एक अनपढ़ व्यक्ति है, जो साक्ष्य से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं था कि घटना का विस्तृत रूप से हवाला प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया जाता। स्वयं अभियोक्त्री **'N'** पी.डब्ल्यु.10 ने द्वारा न्यायालय में जो कथन किए हैं, उनके समग्र अवलोकन से घटना की पुष्टि होती है। चूंकि वह एक कम उम्र की बालिका है, ऐसी अवस्था में कुछ विरोधाभास आना संभव भी है, परन्तु अभियुक्त की ओर से जो पूर्व में रंजिश होने का आधार लिया गया है, उस बारे में कोई भी स्थिति गवाहों से स्पष्ट नहीं कराई जा सकी है। इस प्रकार बिना किसी पूर्व रंजिश के कोई व्यक्ति अपनी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने का झूठा मुकदमा अभियुक्त के खिलाफ क्यों दर्ज करवाएगा। साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि अभियोक्त्री **'N'** के साथ बलात्कार हुआ था। जिस समय अभियोक्त्री को फुसलाकर ले जाया गया था, उस समय उसका भाई पास में था, जिसने भी साक्ष्य में इसका समर्थन किया है। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की अंडरवियर एवं अभियोक्त्री की सलवार जब्त करने के पश्चात् एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु प्रेषित किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श

पी.17 व पी.18 के अनुसार भी अभियोक्त्री की सलवार और अभियुक्त की अंडरवियर पर खून तथा वीर्य होना पाया गया था। बचाव के जो आधार बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से लिए गए हैं, उस संदर्भ में भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष में उल्लेख करने के पश्चात् ही यह पाया है कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया था। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निष्कर्ष देकर अभियुक्त की आरोपित अपराध में जो दोषसिद्धि की गई है, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से यह अपील खारिज करने का निवेदन किया।

10. हमने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 के अनुसार घटना दिनांक 22.10.2010 की शाम 6:00 बजे के लगभग की बताई गई है और इस रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया गया है कि दिनांक 22.10.2010 को लगभग 6:00 बजे आबिद पुत्र शकूर निवासी बिचला बास ने परिवादी की पुत्र **'N'** को चॉकलेट देकर, फुसलाकर, बड़ली रोड़ झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और गालों पर चिमटियां काटीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो उक्त कथन किए गए हैं, इस संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में घटना का विस्तारपूर्वक उल्लेख रिपोर्ट में किया जावे। खासकर इस स्थिति में जबकि अभियोक्त्री के अतिरिक्त मौके पर कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं था। इस प्रकार जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों से कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) घटित होता है तो इस स्थिति में अनुसंधान एजेंसी हरकत में आती है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 22.10.2010 को वक्त 9:30 पी.एम. पर महिला पुलिस थाना, नागौर के समक्ष अभियोक्त्री **'N'** अपने पिता **'M'** के साथ उपस्थित होकर दर्ज करवाई थी। इस बाबत् गवाह पी.डब्ल्यु.02 **'M'** ने रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 पर एक्स स्थान पर अपना अंगूठा निशानी होना कहा और इसने यह भी बताया कि जब उसकी लड़की मिली थी, तब उसकी बहुत सीरियस हालत थी और पुलिसवालों के

पास लेकर गए थे, फिर लड़की को भर्ती करवाया था। प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया कि उसकी लड़की **'N'** उसे 7:00–7:30 बजे मिल गई, तब उस समय उसके साथ आबिद था और कोई साथ नहीं था। स्वतः कहा कि जो उसे पुराने बस स्टैंड के पास मिले थे, जिसने इसे देखकर भाग गया था। रिपोर्ट के संबंध में भी स्पष्ट किया कि थाने में रिपोर्ट पुलिसवालों ने लिखी थी। नाम वह नहीं जानता था। रिपोर्ट में उसने जो बताया था, वो ही पुलिस ने लिखा था। उस घटना के बारे में इसे **'N'** ने ही बताया था, जो रात को 7:30 बजे बताया था और वह थाने 8–9 बजे पहुंच गया था। स्वयं अभियोक्त्री पी.डब्ल्यु.10 **'N'** ने भी रिपोर्ट के संबंध में मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि थाने में पुलिसवालों ने उससे पूछताछ की थी। प्रदर्श पी.04 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने में उसके साथ उसके पापा और बड़ी माँ गई थी। प्रतिपरीक्षण में यद्यपि इसने यह भी कहा है कि प्रदर्श पी.04 में क्या–क्या लिखा था, उसको पता नहीं है। **लेकिन इस गवाह से न्यायालय द्वारा यह प्रश्न किया गया कि पुलिस को जो–जो उसके साथ हुआ था, वो सारी बात बता दी थी? इसके उत्तर में गवाह ने बताया कि 'बता दी थी।'** अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.13 राजेन्द्र सिंह के मुख्य परीक्षण के अनुसार यह गवाह दिनांक 22.10.2010 को महिला थानाधिकारी, नागौर के पद पर नियुक्त था और उस दिन इसके समक्ष एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 पेश होने पर एक्स स्थान पर परिवादी की अंगूठा निशानी और ए से बी स्थान पर **'N'** के कार्यवाही पुलिस पर हस्ताक्षर होना बताया और इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाना गवाह ने कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट उसके सामने लिखित में पेश हुई थी। किस व्यक्ति ने लिखी थी, वह नहीं बता सकता। रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 पेश करने में **'M'** के साथ उसकी बच्ची **'N'** भी आई थी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 के संदर्भ में उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि स्वयं परिवादी **'M'** के

अनुसार उसकी बच्ची उसे 7:00—7:30 बजे मिल गई और वह 8:00 से 9:00 बजे के बीच पुलिस थाने भी पहुंच गया था। तत्पश्चात् 09:30 बजे उसके कहे अनुसार रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई थी। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि स्वयं परिवादी एक अनपढ़ व्यक्ति है, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 04 पर अंगुष्ठ निशानी है और प्रदर्श पी.04 के प्रथम पृष्ठ पर अभियोक्त्री **'N'** के हस्ताक्षर नहीं है बल्कि इसकी पुस्त पर जहां कार्यवाही पुलिस का इंद्राज है, वहां पर ए से बी हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट बाबत् जो कथन अभियोक्त्री **'N'** ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान किए हैं कि उसके ही हस्ताक्षर बिना लिखा—पढ़ी वाले कागज पर करवाए थे, तो इस स्थिति में संभव है कि मुख्य पृष्ठ पर इसके हस्ताक्षर नहीं होने से गवाह ने उक्त कथन किए हों, बल्कि इस स्थिति में न्यायालय के द्वारा पूछने पर उसने स्पष्ट कर दिया था कि उसने पुलिस को जो भी उसके साथ हुआ था, वो सारी बात बता दी थी। इस प्रकार पुलिस थाने में उपस्थित होने के पश्चात् जितनी बात परिवादी को उसकी पुत्री **'N'** ने घटना के बारे में बताई थी, उसी का ही संक्षिप्त विवरण प्रदर्श पी.04 में परिवादी ने किसी और से लिखवाकर थाने में पेश कर दिया था। इसके पश्चात् इस रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकार अभियोक्त्री **'N'** के मिलने के तुरंत पश्चात् घटना का संक्षिप्त विवरण उल्लेखित करते हुए जो रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 दर्ज करवाई गई थी, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता।

11. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **Hem Raj and Ors. v. State of Punjab; AIR 2003 SC 4259** के पैरा संख्या 21 में भी निम्न स्थिति स्पष्ट की है :—

> "21. ... The law is very clear and well settled that a report which discloses the commission of a cognizable offence must be treated as the First Information Report under Section 154 Cr. P.C. It does

not matter whether the person lodging the report had witnessed the commission of the offence or not, nor is it necessary that all details should be mentioned in the report about, the manner of occurrence, the participants in the crime, the time and place of occurrence etc. The requirement of Section 154 Cr. P.C. is only this that the report must disclose the commission of a cognizable office and that is sufficient to set the investigating machinery into action. ..."

12. रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 में उल्लेखित अनुसार महत्वपूर्ण गवाह **'N'** पी.डब्ल्यु.10 के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् साक्ष्य देते वक्त इसने अपनी उम्र आठ वर्ष बताई थी और अभियोजन साक्ष्य के अनुसार घटना के समय अभियोक्त्री सात वर्ष की थी। जिसके कथन लेखबद्ध करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा इसके साक्ष्य देने में समर्थता को परखने के लिए सामान्य प्रश्न पूछने के पश्चात् इसे सोचने–समझने में समर्थ होना बताते हुए इसके कथन लेखबद्ध किए गए थे और साक्ष्य के दौरान इसने कहा कि वह आबिद हुसैन को अब जानती है, पहले नहीं जानती थी। आबिद ने उसके साथ गंदा काम किया था। साल भर से ज्यादा हो गया है; वह धोबियों के कुएं के पास थेपड़ियां लाने के लिए गई हुई थी; उसके साथ उस समय सलमान था, जो उसका भाई है। वहां पर एक आदमी आया, जो गवाह ने इशारा करके बताया कि हाजिर अदालत है, उसको दो–तीन रुपये देने का कहकर कहा कि मिराज लेकर आ। फिर उसको पकड़कर ले गया, जो दरगाह के पास ले गया था। दरगाह के पास झाड़ियां थीं, वहां पर उसकी सलवार खोल दी; चरुटियां भरीं; उसके खून आ गया। फिर उसको वापस आबिद हुसैन लेकर आ रहा था, तब उसके पापा व चाचा मिल गए थे। तब उसके पापा ने आबिद के ठोकी थी, तो वह भाग गया था। आबिद ने उसको कहा कि अपने घरवालों

को कुछ मत कहना, फिर भी उसने अपने पापा को कह दिया था। फिर उसके पापा उसको घर पर लाए थे और बाद में पुलिस आ गई थी, उसको थाने लेकर गए थे। दो–तीन दिन भर्ती रही थी। उसके साथ गंदा काम किया था, तब वह चिल्लाई थी व रोई थी। उसको आबिद ने नीचे सुलाया था, फिर उसके माथे पड़ गया था। आबिद ने उसके साथ और किसी जगह छेड़छाड़ नहीं की थी। खून उसके पैर में से आया था और कहीं से नहीं आया था। फिर कहा कि उसके पेशाब करने वाली जगह से भी खून आया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 व प्रदर्श पी.02 पर क्रमशः सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताया और पुलिस द्वारा इसके कपड़े लेने पर इसकी फर्द प्रदर्श पी.03 पर भी सी से डी हस्ताक्षर होना कहा। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि वह खोटा काम में नहीं समझती है कि खोटा काम क्या होता है। यह भी स्वीकार किया कि थाने में रिपोर्ट करी थी, तब वह आबिद का नाम नहीं जानती थी। पुलिसवालों ने पापा को आबिद का नाम बताया था, उसको पता चला था कि इसका नाम आबिद है। यह भी स्वीकार किया कि उसके खून व चोटें झाड़ियों में पड़ने से आई थीं। यह भी स्वीकार किया कि वह गिर गई थी, इसलिए उसके चोट आई थी। आबिद ने कोई चरुटिये नहीं भरे थे। यह स्वीकार किया कि आबिद ने उसके साथ कोई गंदा काम नहीं किया था। सिर्फ चुटियाँ भरा था। इस गवाह द्वारा जो उक्त साक्ष्य दी गई है, उससे यह स्पष्ट है कि घटना के वक्त इसकी आयु सात वर्ष के लगभग थी और इसकी उम्र के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई विवाद भी नहीं किया गया है। इस प्रकार जहां घटना के वक्त अभियोक्त्री की आयु महज सात वर्ष की थी, इस स्थिति में यह संभव है कि वह घटना के बारे में विशिष्टतया कथनों की स्थिति को नहीं समझ पाई हो। जिस वक्त घटना घटित हुई, उस वक्त से लेकर लगभग एक वर्ष पश्चात् जब विचारण के दौरान उसके न्यायालय में कथन लेखबद्ध किए गए, तब तक भी यह

आवश्यक नहीं है कि उसे इतने समय के अंतराल के पश्चात् घटना की पूर्ण याद्दाश्त रही हो। सामान्यतः बलात्कार जैसा अपराध पूर्णतया एकांत में किया जाने वाला अपराध होने से पीड़ित पक्षकार की ही साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। मुख्य परीक्षण में ही इस गवाह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब वह थेपड़ियां लेने के लिए गई थी, तब इसका भाई भी वहां पर था और वहां पर एक आदमी आया था, जिसके संदर्भ में भी इशारा करके इसने अभियुक्त के बारे में भी कहा और यह भी बताया कि उसने दो–तीन रुपये देकर मिराज लाने को कहा। फिर उसको पकड़कर ले गया था। यह भी स्पष्ट किया था कि उसे अभियुक्त ने नीचे सुलाया था और ऊपर चढ़ गया था। जिससे उसके पैरों पर और पेशाब करने वाली जगह पर खून आया था। उस वक्त तक वह अभियुक्त को नाम से नहीं जानती थी। इस गवाह से प्रतिपरीक्षण के दौरान जो अलग–अलग तरह के विरोधाभासी प्रश्न बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पूछे गए थे, जिस पर इसने यह भी स्वीकार किया कि वह खोटा काम में नहीं समझती है कि क्या होता है। जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में सुझाव देने पर इसने यह भी स्वीकार कर लिया कि उसके साथ गंदा काम नहीं किया था, सिर्फ चरुटियाँ भरा था। जब प्रथम प्रश्न के उत्तर में इसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह खोटा काम के बारे में नहीं समझती है तो उस स्थिति में इसके पुनः स्वीकारोक्ति करने मात्र से ही यह नहीं माना जा सकता है कि वास्तविक रूप से उसके साथ अभियुक्त द्वारा कोई बलात्कार नहीं किया गया था। बल्कि इस स्थिति में प्रतिपरीक्षण के दौरान न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर भी इसने स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस को इसने जो–जो इसके साथ हुआ था, वो सारी बातें बता दी थीं। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधान के दौरान जब अभियोक्त्री **'N'** के कथन लेखबद्ध किए गए थे, उस संदर्भ में भी प्रतिपरीक्षण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष इसकी साक्ष्य में कोई विरोधाभास आया हो, ऐसा भी नहीं पाया जाता है। यदि

अनुसंधान के दौरान गवाह ने कोई और बात कही होती और न्यायालय में साक्ष्य के दौरान कोई और कथन किए होते, तब तो इसके कथनों को संदिग्ध कहा जा सकता था, परन्तु इस प्रकार की स्थिति गवाह के विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट नहीं हो पाई है। किसी भी बाल साक्षी के कथनों पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि वह कम उम्र का बाल साक्षी है, बल्कि पी.डब्ल्यु.10 **'N'** ने घटना के संदर्भ में जितना कुछ वह समझ रही थी, उस अनुरूप साक्ष्य दी है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **State of Rajasthan V. Chatra; AIR 2025 SC 1755** के पैरा संख्या 09 के अनुसार भी जहां पीड़िता कम उम्र की होकर प्रथम कक्षा में अध्ययनरत थी, उसकी साक्ष्य लेखबद्ध करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा भी उससे इसके साक्ष्य देने में समर्थ होने बाबत् सामान्य प्रश्न पूछने के पश्चात् कथन लेखबद्ध किए थे। जिसका भी उल्लेख उक्त निर्णय के पैरा संख्या 09 में किया गया है। इसके अलावा भी किसी बाल साक्षी के कथनों के संदर्भ में भी पैरा संख्या 14 में निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :—

> "14. The principles that can be adduced from an overview of the aforesaid decisions, are:
>
> a. No hard and fast rule can be laid down qua testing the competency of a child witness to testify at trial.
>
> b. Whether or not a given child witness will testify is a matter of the Trial Judge being satisfied as to the ability and competence of said witness. To determine the same the Judge is to look to the manner of the witness, intelligence, or lack thereof, as may be apparent; an understanding of the distinction between truth and falsehood etc.
>
> c. The non-administration of oath to a child witness will not render their testimony doubtful or unusable.
>
> d. The trial Judge must be alive to the possibility of the child witness being swayed, influenced and tutored, for in their innocence,

> such matters are of ease for those who may wish to influence the outcome of the trial, in one direction or another.
>
> e. Seeking corroboration, therefore, of the testimony of a child witness, is well-placed practical wisdom.
>
> f. There is no bar to cross-examination of a child witness. If said witness has withstood the cross- examination, the prosecution would be entirely within their rights to seek conviction even solely relying thereon."

13. स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यु.02 **'M'** ने भी साक्ष्य के दौरान यह कहा है कि इसकी लडक़ी **'N'** छाना लेने के लिए धोबियों के कुएं के पास गई थी, जो कि सात साल की थी। तब आबिद नाम का लड़का आया और उसको चीज का लालच देकर ले गया। जो लड़का आज हाजिर अदालत है और **'N'** को आबिद सूफी दरगाह के पास झाड़ियों के अंदर ले गया, वहां पर उसका बलात्कार किया। यह गवाह ढूंढता फिरा, पुराने बस स्टैंड के पास आबिद **'N'** को लेकर आ रहा था, जिसने इस गवाह को देखा तो भाग गया। कुएं के पास से जब **'N'** को आबिद लेकर गया था, तब सुलेमान ने देखा था। सुलेमान उसके भाई का लड़का है। तत्पश्चात् अपनी लड़की को लेकर थाने जाकर रिपोर्ट लिखाना और हॉस्पीटल में भर्ती कराना बताया। प्रतिपरीक्षण में इस बात को गलत बताया कि वह आबिद हुसैन को घटना से पहले नहीं जानता हो, बल्कि पहले से जानता था। पुलिस द्वारा प्रदर्श पी.01 व प्रदर्श पी.02 मौका देखना एवं स्वयं का अनपढ़ होना बताया। यह भी कहा कि इसकी लड़की **'N'** के साथ में अभियुक्त आबिद पुराने बस स्टैंड के पास मिला था, जो इसे देखकर भाग गया था। इसकी लड़की हॉस्पीटल में तीन दिन तक भर्ती भी रही थी। पी.डब्ल्यु.11 सलमान, जो कि उस वक्त अभियोक्त्री **'N'** के पास था, जहां से सर्वप्रथम अभियुक्त लालच देकर अभियोक्त्री को लेकर गया था। यह गवाह भी साक्ष्य देते वक्त आठ वर्ष की आयु का बालक था और इसके भी कथन लेखबद्ध करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा सामान्य

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते
2026:RJ-JD:10024-DB

प्रश्न पूछने के पश्चात् उसके सोचने व समझने में समर्थ होना पाए जाने पर ही कथन लेखबद्ध किए थे। इसने भी कहा कि धोबियों के कुएं के पास उसकी बहन एक बार पेशाब कर रही थी, तो उसके लग गई थी। गवाह ने हाजिर अदालत मुलजिम को देखकर कहा कि यह आदमी वहां पर आया था, जो उसकी बहन **'N'** को लेकर गया था और **'N'** को उसने कहा कि एक मिराज लेकर आ और लारला (बचे हुए) पैसे रख लेना। फिर **'N'** को अस्पताल में भर्ती कराया था। **'N'** को ले जाने वाली बात शाम के समय की थी। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि हाजिर अदालत मुलजिम को उसने आज ही देखा। लेकिन इस बात को गलत बताया कि उसने **'N'** को पैसे देते हुए इस आदमी को नहीं देखा। यद्यपि यह गवाह घटना घटित होते समय मौके पर नहीं था। लेकिन इस बाल साक्षी के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि सर्वप्रथम इसके सामने अभियुक्त, अभियोक्त्री **'N'** को पैसे का लालच देकर मौके से लेकर गया था और यह स्वयं भी अभियुक्त को पहले से नहीं जानता था। लेकिन स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यु.02 **'M'** की साक्ष्य के अनुसार जब वह ढूंढते हुए पुराने बस स्टैंड के पास पहुंचा था, तब इसने अपनी पुत्री **'N'** के साथ अभियुक्त को देखा था और जिसे इसने पहचान लिया था। लेकिन परिवादी को देखकर अभियुक्त मौके से भाग गया था। उस वक्त अभियोक्त्री **'N'** की स्थिति काफी खराब थी और उसके खून भी आ रहा था। इस प्रकार उक्त स्थिति में यह स्पष्ट है कि स्वयं परिवादी ने अभियोक्त्री **'N'** के साथ अभियुक्त को पाए जाने पर पहचान लिया था और फिर जब अभियोक्त्री ने घटना के बारे में अपने पिता अर्थात् परिवादी को बताया तो वह अविलंब उसे लेकर पुलिस थाना गया, जहां पर उसके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 दर्ज करवाई गई थी। इस प्रकार उपर्युक्त स्थिति में ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को पहचाना नहीं गया हो।

14. पी.डब्ल्यु.06 डॉ. उषा की साक्ष्य के अनुसार वह दिनांक 22.10.2010 को राजकीय चिकित्सालय नागौर में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त थी और उस दिन इसने व डॉ. एस.एस. कालवी ने पुलिस प्रतिवेदन पर **'N'** पुत्री **'M',** उम्र सात वर्ष के शरीर का मेडिकल मुआयना किया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी.06 पर ई से एफ भाग पर राय अंकित होना और जी से एच स्थान पर अपने हस्ताक्षर बताए। यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षण उस दिन रात्रि के 11 बजे किया था। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोक्त्री के शरीर पर निम्न कुल पांच चोटें पाईं थीं :—

1. काफी चोटों के निशान थे, जो 1.5 सेमी. गुणा 1/2 सेमी. जो छाती के पीछे की तरफ।
2. चोटों के निशान जो 1.5 सेमी. गुणा 1/2 सेमी. जांघों पर थे, जो आगे व भीतर की तरफ थे।
3. चोट का निशान 1.5 सेमी. गुणा 1/2 सेमी. बाईं कलाई के ऊपर व भीतर की तरफ थी।
4. दो चोट के निशान 1/2 सेमी. गुणा 1.5 सेमी. दाएं गाल पर थी।
5. दांतों द्वारा कटा हुए घाव मल्टीपल स्मॉल ब्रुज इन 2 सेमीसर्कुलर बाएं गाल पर, जो एक—दूसरे के विपरीत।

15. इस गवाह ने यह भी कहा कि सभी चोटें बारह घंटे के भीतर की थीं, और ब्रेस्ट नोट डवलप थे। एक्सट्रनल बाहरी गुप्तांग पर दाग—धब्बों के निशान खून से मिश्रित थे। इस गवाह के अनुसार उनकी राय में बच्ची के साथ जबरदस्ती ब्लंट ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश की गई थी, जो एक्सट्रनल जैनिटेनिया में की गई थी। प्रतिपरीक्षण में इस बात को गलत बताया गया है कि सारी चोटें गिरने से आना संभव हों। इस बात को भी गलत कहा कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ हो। उक्त गवाह के साथ जो मेडिकल परीक्षण करते समय अन्य गवाह डॉ. एस.एस. कालवी भी थे, इसका भी परीक्षण पी.डब्ल्यु.07 के रूप में किए जाने पर गवाह ने बताया कि गुप्तांगों पर आई चोट एम से एन भाग में अंकित की गई है और प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया कि जननांगों का परीक्षण मैडम डॉ.

उषा ने किया था। स्वतः कहा कि वह भी साथ में उपस्थित था। इस बात को भी गलत बताया है कि उनकी राय में बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ हो। इस प्रकार उक्त दोनों ही गवाहों ने, जिन्होंने अभियोक्त्री **'N'** का घटना के दिन ही मेडिकल भी किया था, उनकी राय के अनुसार भी **'N'** के साथ रेप हुआ था और जिस प्रकार से दांतों से चिमटियां काटना अभियोक्त्री **'N'** ने कहा था, इसकी भी पुष्टि पी.डब्ल्यु.06 डॉ. उषा बोहरा की साक्ष्य से होती है।

16. पी.डब्ल्यु.01 फारूख अहमद की साक्ष्य के अनुसार भी जिस जगह से अभियुक्त बच्ची को बहला–फुसलाकर ले गया था और जहां पर उसके साथ जबरदस्ती की गई थी, उन स्थानों का भी पुलिस द्वारा मौका देखा गया था, जिन नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 व प्रदर्श पी.02 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताए। यह भी कहा कि पुलिस ने लड़की की सलवार पीले रंग की छापकेदार ली थी, जिस पर खून लगा हुआ था, जो उसके पिता ने लाकर पेश की थी। इसकी भी फर्द प्रदर्श पी.03 है, जिस पर ए से भी अपने हस्ताक्षर होना बताया। प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया कि पुलिस ने जब नक्शा मौका बनाया, उस समय वह पुलिस के साथ मौके पर मौजुद था। पी.डब्ल्यु.04 बनवारी लाल के अनुसार अभियुक्त आबिद हुसैन को गिरफ्तार करने के पश्चात् उसकी अंडरवियर को पुलिस ने लेकर सील मुहर किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.11 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताए और यह भी कहा कि आबिद ने उसके सामने घटनास्थल की तस्दीक कराई थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.12 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताए और यह भी कहा कि जहां से बच्ची को लेकर जाना बताया था, उस दूसरी जगह की तस्दीक भी अभियुक्त ने कराई थी, जिसकी भी प्रदर्श पी.13 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताए। पी.डब्ल्यु.05 माधोसिंह के अनुसार भी पुलिस द्वारा अभियुक्त की अंडरवियर जब्त की गई थी। उक्त साक्ष्य के समर्थन में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.13

राजेन्द्र सिंह ने भी मुख्य परीक्षण में अपनी साक्ष्य दी है। इस प्रकार जो अभियोक्त्री की सलवार एवं अभियुक्त की अंडरवियर लेकर सील किए गए थे, इसे उसी अवस्था में मालखाना में भी जमा करवाया गया था। पी.डब्ल्यु.03 रामकंवरी ने भी सीलबंद चार पैकेट लेकर एफ.एस.एल. में जमा करवाना कथन किया है। जब्तशुदा आर्टिकल जिस अवस्था में जमा करवाए गए थे, इसका समर्थन पी.डब्ल्यु.12 रामरतन की साक्ष्य से भी होता है। इस प्रकार जो सलवार एवं अंडरवियर की जब्ती की गई थी, उसी अवस्था में एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु प्रेषित किए गए थे। इस संदर्भ में भी बचाव पक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई विशेष कथन नहीं किए गए हैं। तत्पश्चात् जो रिपोर्ट प्रदर्श पी.17 व पी.18 प्राप्त हुई थी, उसके तहत अभियोक्त्री की सलवार तथा अभियुक्त की अंडरवियर पर खून व वीर्य होना पाया गया था। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु.13 राजेन्द्र सिंह के प्रतिपरीक्षण के अनुसार भी इसने लेडीज कांस्टेबल के साथ अभियोक्त्री **'N'** को हाथोंहाथ ही इलाज हेतु अस्पताल भी भिजवाया था और स्वयं भी साथ गया था और रात्रि को 10:00—10:15 बजे ही मेडिकल बोर्ड का भी गठन करवा दिया था। इस बात की पुष्टि पी.डब्ल्यु.06 डॉ. उषा की इस साक्ष्य से भी होती है कि इसने अभियोक्त्री का परीक्षण उस दिन ही रात्रि के 11:00 बजे कर लिया था। इस प्रकार घटना के घटित होने के पश्चात् से लेकर अभियोक्त्री के शरीर का मेडिकल मुआयना होने तक किसी प्रकार का विलंब होना भी नहीं पाया गया है।

17. बहस के दौरान अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की ओर से एक अन्य मुख्य आधार यह भी लिया गया है कि जिस वक्त अभियोक्त्री **'N'** के शरीर पर खून आ रहा था, उस समय अभियुक्त को पास में देखकर ही परिवादी ने घबराकर बच्ची के साथ रेप होना मान लिया था, जबकि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। इस प्रकार जो उक्त तर्क बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा किए गए हैं, इस संदर्भ में

भी यह तो माना जा सकता है कि जब परिवादी **'M'** अपनी बच्ची **'N'** को ढूंढ रहा था, तब उसने **'N'** के पास में अभियुक्त को देख लिया था अर्थात् इस स्थिति में अभियुक्त परिवादी की पुत्री **'N'** के साथ पाया गया था और उस वक्त **'N'** के शरीर पर खून आ रहा था। बचाव पक्ष का कहना है कि अभियोक्त्री के हाथ, पैर पर जो खून आया था, वह झाड़ियों में गिरने से आया था। लेकिन उसी पर परिवादी द्वारा शक कर लिया गया था। परन्तु साक्ष्य से उपर्युक्त स्थिति सही होना नहीं पाई जाती है, क्योंकि इस स्थिति में स्वयं अपीलार्थी—अभियुक्त के शरीर पर चोटों का पाया जाना संभव नहीं था और इस बाबत् भी पी.डब्ल्यु.09 डॉ. आर.के. अग्रवाल की साक्ष्य के अनुसार इसने अभियुक्त की जांच के पश्चात् उसे संभोग करने में सक्षम पाया था। साथ ही इसके शरीर पर पाई गई चोटों का भी मेडिकल मुआयना करते हुए रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 तैयार की थी, तब उसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गई थीं :—

1. खरोंच बाएं घुटने पर 1/2 सेमी. गुणा 1/2 सेमी. के चार निशान।
2. दाहिनी टांग पर धब्बे जैसे निशान दो गुणा दो सेमी.।
3. दाहिनी कोहनी पर 1/2 सेमी. गुणा दो सेमी. के तीन निशान थे।
4. बाएं कोहनी पर दो सेमी. गुणा आधा सेमी. का निशान था।

उक्त चोटें अभियुक्त के कैसे आई थी, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण बचाव पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। बल्कि इस स्थिति में अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री **'N'** के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की स्थिति को ही प्रमाणित करता है, क्योंकि जहां घटनास्थल था, वहां खुली जमीन होकर कठोर धरातल था और जबरन संभोग करने की स्थिति में जो अभियुक्त के चोट संख्या एक बाएं घुटने पर, दूसरी दाहिनी टांग पर, तीसरी दाहिनी कोहनी पर व चौथी बायीं कोहनी पर पाई गई थीं, यह जबरन संभोग करने की ही स्थिति में आना संभव थी। जब अभियुक्त स्वयं के कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गए, तब भी

इसने यह नहीं कहा कि अभियोक्त्री **'N'** के झाड़ियों में गिरने से ही शरीर पर चोटें आईं थीं एवं अभियोक्त्री के पिता ने पास में ही उसको देखकर अभियुक्त पर बलात्कार का शक कर लिया हो। बल्कि अभियुक्त ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में यह कहा है कि– **"मैं निर्दोष हूँ। मुझे अदावती (रंजिश) के कारण झूठा फंसाया गया।"** उक्त जो कथन स्वयं अभियुक्त ने किए हैं, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया कि इसकी परिवादी **'M'** के साथ क्या रंजिश थी, जिस कारण से उसके विरुद्ध यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया हो। जब स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यु.02 **'M'** से प्रतिपरीक्षण किया गया, तब भी रंजिश के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और इस संदर्भ में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि अभियुक्त को परिवादी की पुत्री के पास देख लिए जाने मात्र से ही घबराकर बलात्कार किए जाने का शक कर लिया गया हो। पी.डब्ल्यु.10 **'N'** से भी इस संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई प्रश्न नहीं किया गया। इस प्रकार जो अपीलार्थी की ओर से बचाव के आधार लिए गए हैं, वे अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई साक्ष्य को खंडित नहीं कर पाए हैं।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **State of Rajasthan V. Chatra; AIR 2025 SC 1755** में भी जहां अभियोक्त्री प्रथम कक्षा में अध्ययनरत होकर बाल साक्षी थी और बलात्कार का अपराध विचारण न्यायालय द्वारा सिद्ध होना पाए जाने पर दोषसिद्धि किए जाने के पश्चात् इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने पर पुनः उसकी दोषसिद्धि करते हुए निर्णय के पैरा संख्या 20 व 21 में भी निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :–

> "20. We have examined the evidence of PW-14. The version suggested by the defence that the injury caused to the private part of 'V' could not have been caused by a nail or an all-pin. Further attempt to

2026:RJ-JD:10024-DB

discredit the evidence of the Doctor by suggesting that he had, in fact, given his findings, influenced by a bribe, is only a mere allegation/statement, as the same is entirely unsubstantiated by the record. Even on being queried by the Court, the witness answered that the cause of injury to 'V' can be through sexual intercourse, or an accident. That, coupled with the finding of injury on the genital organ of the accused being possible only due to forceful intercourse with a minor female, leads to a circumstance pointing to the respondent-accused having committed the offense against 'V'.

21. The possibility of animosity between the accused and the father of 'V' has not been established to the point that it would represent a crack in the wall of the prosecution case, giving rise to reasonable doubt."

19. इस प्रकार अभिलेख पर आई उपर्युक्त समग्र साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की जो दोषसिद्धि अपराध अंतर्गत धाराएं 363 एवं 376 भारतीय दंड संहिता में की गई है, उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

20. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अपीलार्थी की योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी—अभियुक्त 12 वर्ष से भी अधिक अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अपीलार्थी अभियुक्त को भुगती हुई सजा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की, जिसका विद्वान लोक अभियोजक ने विरोध किया।

21. अभिलेख पर आई साक्ष्य की स्थिति से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा एक सात वर्षीय बच्ची को बहला—फुसलाकर ले जाने के पश्चात् उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया था। एक नाबालिग एवं कम उम्र की बालिका के साथ जिस प्रकार का कृत्य

अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा किया गया है, वह भर्त्सना के योग्य है और ऐसे अपराध में उसके विरुद्ध नरमी का रुख रखा जाना न्यायोचित नहीं होने से दोषसिद्धि के पश्चात् जो दंडादेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह भी अभिलेख के तथ्य, परिस्थितियों में उचित पाए जाने से इसमें भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

22. इस प्रकार उपर्युक्त संपूर्ण साक्ष्य की स्थिति को देखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में जो दंडादेश पारित किया गया है, उसमें भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायायल द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 20.12.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J **(VINIT KUMAR MATHUR),J**

102-Rajendra/-